भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. †2774

(दिनांक 07 अगस्त, 2023, सोमवार/16 श्रावण, 1945 (शक) को दिए जाने वाला उत्तर)

"तम्बाकू उत्पादों की न्यूनतम कीमतें"

†2774. श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:

डॉ. सुजय विखे पाटील:

श्री कृष्णपालसिंह यादवः

डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:

डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में तम्बाकू उत्पादों की कीमतें सबसे कम हैं और कैंसर की रोकथाम और जागरुकता के लिए प्राप्त अतिरिक्त राजस्व का उपयोग करने के लिए तम्बाकू उत्पादों पर करों में वृद्धि किए जाने की आवश्यकता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) भारत में बीड़ी, सिगरेट और धुआंरहित तम्बाकू उत्पादों पर वर्तमान कर भार का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को तम्बाकू उत्पादों पर क्षतिपूर्ति उपकर बढ़ाने के लिए किन्हीं राज्यों से कोई सिफारिशें प्राप्त हुई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वित्त राज्य मंत्री (पंकज चौधरी)

(क) सरकार के पास ऐसा कोई डेटा उपलब्ध नहीं है ।

सरकार समय-समय पर तंबाकू उत्पादों पर शुल्क दरों की समीक्षा और पुनर्गणना करती रही है। केंद्रीय बजट 2023-24 में, निर्दिष्ट सिगरेट पर उत्पाद शुल्क के रूप में लगाए गए राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) की दर में लगभग 16% की वृद्धि की गई है।

(ख) सिगरेट, चबाने वाले तंबाकू, गुटखा आदि जैसे तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी, प्रतिपूर्ति उपकर, मूल उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) लगता है, जबकि बीड़ी पर जीएसटी, मूल उत्पाद शुल्क और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) लगता है। नीचे दी गई तालिका में विवरण:

कर/शुल्क/उपकर	**विवरण**
जीएसटी	तंबाकू उत्पाद जैसे बीड़ी, सिगरेट, चबाने वाला तंबाकू, गुटखा आदि पर 28% की उच्चतम दर से जीएसटी लगता है।
प्रतिपूर्ति उपकर	निर्दिष्ट तंबाकू उत्पादों जैसे चबाने वाले तंबाकू, गुटखा आदि पर, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के अलावा वाले, सिगरेट, आदि पर 5% से 290% तक की यथामूल्य दर और/या सिगार, सिगरेट आदि जैसे उत्पाद पर रु. 2076 प्रति हजार से रु. 4170 प्रति हजार विशिष्ट दर लगाया जाता है।इसके अलावा, घोषित खुदरा बिक्री मूल्य के साथ गुटखा, चबाने वाले तंबाकू, पाइप और सिगरेट के लिए धूम्रपान मिश्रण आदि जैसे निर्दिष्ट वस्तुओं पर लगाए गए प्रतिपूर्ति उपकर दर को खुदरा बिक्री मूल्य से जोड़ा गया है और खुदरा बिक्री मूल्य का 8% से लेकर 69% तक की दर से लगाया जाता है।

मूल उत्पाद शुल्क	मूल उत्पाद शुल्क निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों जैसे बीड़ी, सिगरेट, चबाने वाले तम्बाकू, गुटखा इत्यादि पर 0.5% से 1% तक की यथामूल्य दर पर या 5 पैसे प्रति हज़ार से लेकर रु. 10 प्रति हजार तक की विशिष्ट दर पर लगाया जाता है।
राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी)	राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक शुल्क (एनसीसीडी) निर्दिष्ट तम्बाकू उत्पादों जैसे बीड़ी, सिगरेट, चबाने वाले तम्बाकू, गुटखा इत्यादि पर 25% से 60% तक की यथामूल्य दर या रुपये 1 प्रति हज़ार से लेकर रु. 850 प्रति हज़ार के विशिष्ट दर पर लगाया जाता है।

(ग) और (घ): हाल के दिनों में, पंजाब, छत्तीसगढ़ और हरियाणा राज्यों द्वारा अभ्यावेदन भेजे गए हैं, जिसमें सिगरेट और धुआं रहित तंबाकू उत्पादों जैसे तंबाकू उत्पादों पर प्रतिपूर्ति उपकर की लागू दर को बढ़ाने का प्रस्ताव किया गया है।

******